ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 11, Issue 5, September - October 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.583

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

क्षेत्रीय स्वायत्तता बनाम राजनीतिक एकीकरण : चुनौतियाँ और संभावनाएँ (जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में)

सिद्धार्थ शंकर गिरी

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु

सारांश

क्षेत्रीय स्वायत्तता का तात्पर्य उस विशेष अधिकार से है, जो किसी क्षेत्र या राज्य को उसकी स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार नीतियों और कानूनों का निर्माण करने के लिए दिया जाता है। क्षेत्रीय स्वायतता (Regional Autonomy) से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र या राज्य को शासन और प्रशासन के मामलों में स्वतंत्रता या आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना है। क्षेत्रीय स्वायतता के तहत, क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाईयों को कई महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे जाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बना सकें और निर्णय ले सकें। क्षेत्रीय स्वायतता के मुख्य तत्व स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार, सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण, वित्तीय स्वायत्तता एवं प्रशासनिक स्वायत्तता आदि है। क्षेत्रीय स्वायतता और राजनैतिक एकीकरण (Political Integration) के बीच एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण संबंध होता है। ये दोनों अवधारणाएँ एक–दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करती हैं ताकि एकता और विविधता के बीच संतुलन बना रहे। वस्तुतः यह क्षेत्रीय स्वायतता का ही परिणाम है कि जम्मू–कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टता ने भारत के अन्य राज्यों से इसकी एक अलग पहचान बनाई थी। प्रस्तुत आलेख में जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में क्षेत्रीय स्वायत्तता बनाम राजनीतिक एकीकरण पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस बदलाव के प्रभावों, चुनौतियों और संभावनाओं आदि का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द : क्षेत्रीय स्वायत्तता, राजनैतिक एकीकरण, संघीय ढांचा, राजनीतिक स्थिरता

परिचय :

क्षेत्रीय स्वायतता और राजनैतिक एकीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर, क्षेत्रीय स्वायतता से विविधता को अपनाने और क्षेत्रीय जरूरतों का सम्मान करने का अवसर मिलता है, जिससे लोग अपने स्थानीय मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। दूसरी ओर, राजनैतिक एकीकरण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना एक सफल संघीय ढांचे की पहचान होती है, जहां क्षेत्रीय स्वायत्तता के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारों का सम्मान होता है और एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण होता है। राजनैतिक एकीकरण का उद्देश्य एक मजबूत, संगठित और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना होता है, जहां सभी क्षेत्र एक राजनीतिक ढांचे के तहत आते हैं जबकि क्षेत्रीय स्वायतता के तहत, क्षेत्रीय या राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों के अनुसार शासन करने की स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधानों के तहत सुरक्षित होती है ताकि एकीकृत राष्ट्र के ढांचे में ही क्षेत्रों को स्वायत्तता प्राप्त हो। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से, क्षेत्रीय स्वायत्तता की बहस में एक नया मोड़ आया। भारत सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। इस कदम के समर्थकों का मानना था कि इससे क्षेत्र का बेहतर विकास होगा, आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होगा। इसके विपरीत, आलोचकों ने इसे क्षेत्रीय स्वायत्तता का हनन और स्थानीय पहचान के लिए एक खतरे के रूप में देखा।

जम्मू कश्मीर एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता :

जम्मू–कश्मीर में ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक एकीकरण का मुद्दा एक संवेदनशील विषय रहा है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू–कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किए जाने के साथ भारत में क्षेत्रीय स्वायत्तता बनाम राजनीतिक एकीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ। इस नीति परिवर्तन के पीछे सरकार का उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद को कम करना, स्थायित्व लाना, और एकीकरण को बढ़ावा देना था। हालांकि, इस परिवर्तन ने कई प्रश्न भी खड़े किए, जैसे कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान के साथ कैसे बेहतर राजनीतिक एकीकरण स्थापित किया जा सकता है।

क्षेत्रीय स्वायत्तता का महत्व :

क्षेत्रीय स्वायत्तता का तात्पर्य उस विशेष अधिकार से है जो एक क्षेत्र को उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुसार अपने नियम और नीतियाँ बनाने की स्वतंत्रता देता है। जम्मू–कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए के माध्यम से ऐसी स्वायत्तता मिली थी।

स्वायत्तता के पक्ष में तर्क :

- **सांस्कृतिक संरक्षण** – जम्मू–कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के संरक्षण के लिए स्वायत्तता आवश्यक मानी गई थी। यह प्रावधान स्थानीय लोगों को अपनी भाषा, परंपराओं और पहचान को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता था।
- **स्थानीय शासन में सुधार** – स्वायत्तता के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को समझते हुए निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे शासन में स्थायित्व और प्रगति संभव होती है।
- **राजनीतिक स्थिरता** – स्थानीय लोगों में अधिकारों की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे सामूहिक असंतोष और अशांति को कम किया जा सकता है।

स्वायत्तता की चुनौतियाँ :

- **राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती** – अलगाववादी तत्व स्वायत्तता के नाम पर भारत–विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **विकास की सीमाएँ** – स्वायत्तता के कारण बाहरी निवेश और विकास कार्यों में कई बार अड़चनें आती हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ** – सीमा पर स्थित होने के कारण, क्षेत्रीय स्वायत्तता बाहरी हस्तक्षेप और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है।

राजनीतिक एकीकरण का महत्व :

राजनीतिक एकीकरण का उद्देश्य पूरे देश में एकरूपता लाना और समान विकास की प्रक्रिया को गति देना है। अनुच्छेद 370 के निरसन के पीछे भी जम्मू–कश्मीर का एकीकरण और स्थायित्व स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था।

एकीकरण के लाभ :

- **राष्ट्रीय एकता और अखंडता** – एकीकृत राजनीतिक संरचना से पूरे देश में एकरूपता आती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है।
- **विकास में तेजी** – केंद्रीय योजनाओं का जम्मू–कश्मीर में प्रभावी कार्यान्वयन से क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला है।

- **सुरक्षा में सुधार** – केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत सुरक्षा तंत्र में सुधार हुआ है और आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है।

एकीकरण की चुनौतियाँ :

- **स्थानीय असंतोष** – अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कई स्थानीय निवासियों में असंतोष देखा गया, विशेष रूप से युवाओं के बीच।
- **संविधान का उल्लंघन** – कई विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारतीय संघीय ढांचे के विरुद्ध है।
- **सांस्कृतिक पहचान की चिंता** – क्षेत्र के निवासियों में अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने का भय बढ़ा है, जिससे असंतोष का माहौल बना हुआ है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति :

अगस्त 2019 के बाद से जम्मू–कश्मीर में कई बदलाव देखे गए हैं, जिनमें सुरक्षा स्थिति, आर्थिक विकास, और रोजगार के अवसरों में सुधार के आंकड़े शामिल हैं।

- **सुरक्षा स्थिति में सुधार** – 2023 के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमी आई है और सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी कार्रवाइयों से शांति और स्थायित्व में सुधार हुआ है।
- **पर्यटन में वृद्धि** – 2022 में 1.6 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आना यह संकेत देता है कि क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार हुआ है और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
- **रोजगार सृजन** – केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति** – केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार हुए हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक एकीकरण का संतुलन :

क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक एकीकरण के बीच एक संतुलन स्थापित करना आवश्यक है ताकि स्थानीय संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय एकता और विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। क्षेत्रीय स्वायतता और राजनैतिक एकीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर, क्षेत्रीय स्वायतता से विविधता को अपनाने और क्षेत्रीय जरूरतों का सम्मान करने का अवसर मिलता है, जिससे लोग अपने स्थानीय मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। दूसरी ओर, राजनैतिक एकीकरण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना एक सफल संघीय ढांचे की पहचान होती है, जहां क्षेत्रीय स्वायत्तता के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारों का सम्मान होता है और एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण होता है।

संभावित समाधान और सुझाव :

- **स्थानीय स्वायत्तता के लिए एक ढाँचा** – स्थानीय स्वायत्तता को एक सीमित स्तर तक बनाए रखने से लोगों में अधिकार का भाव बना रह सकता है, और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान संभव हो सकता है।
- **संविधान में एक संतुलित दृष्टिकोण** – संवैधानिक रूप से जम्मू–कश्मीर को एक विशेष अधिकार संरचना देने से राष्ट्रीय एकता के साथ स्थानीय स्वायत्तता का समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
- **स्थानीय प्रतिनिधित्व में सुधार** – स्थानीय नेताओं और संगठनों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देना, ताकि उनके विचारों का सम्मान करते हुए विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।
- **विकास योजनाओं में स्थानीय भागीदारी** – सभी विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि वे स्वयं को राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा महसूस कर सकें।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक एकीकरण को संतुलित करने के लिए एक व्यापक और समावेशी नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे जम्मू–कश्मीर का शांतिपूर्ण और सतत विकास संभव हो सके। जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक एकीकरण के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यद्यपी राजनीतिक दृष्टि से किसी क्षेत्र को एकीकृत करना आवश्यक है, परंतु सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से स्थानीय पहचान का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस नीति परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में सुधार, आर्थिक प्रगति, और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हालांकि, असंतोष की भावना अब भी विद्यमान है। इस स्थिति

में सरकार को विकास योजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को इस प्रकार कार्यान्वित करना होगा कि स्थानीय स्वायत्तता को आंशिक रूप से सुरक्षित रखते हुए लोगों की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान हो।

संदर्भ सूची :

1. Chowdhary, R. (2019). *Jammu and Kashmir: Politics of identity and separatism*. Routledge.
2. Noorani, A. G. (2011). *Article 370: A constitutional history of Jammu and Kashmir*. Oxford University Press.
3. Bose, S. (2003). *Kashmir: Roots of conflict, paths to peace*. Harvard University Press.
4. Sharma, J. (2014). Regional autonomy in Jammu and Kashmir: An analysis. *Indian Journal of Political Science, 75*(1), 56-78.
5. Singh, R. (2019). The politics of autonomy in Jammu and Kashmir. *Journal of South Asian Studies, 36*(2), 120-135.
6. Kaul, N. (2018). *Kashmir: A political and cultural history*. Aleph Book Company.
7. Ahmad, I. (2013). Autonomy and federalism in Jammu and Kashmir. *Asian Affairs, 45*(4), 67-84.
8. Bukhari, S. R. (2017). Understanding Article 35A: Autonomy and integration in Jammu and Kashmir. *Economic and Political Weekly, 52*(23), 34-40.

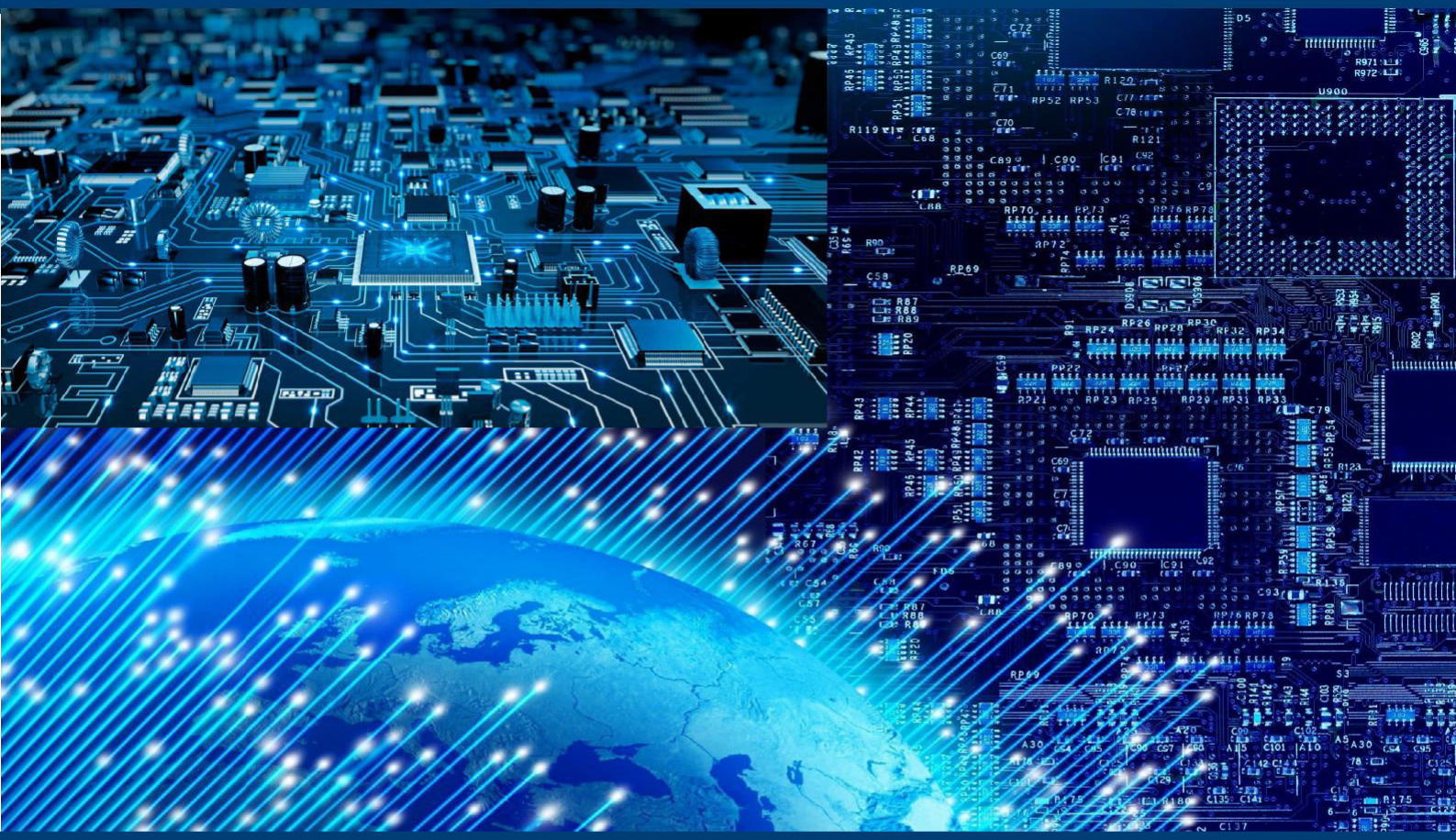

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |